संख्या :3255/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2019

प्रेषक,

स्वाति0 एस0 मदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून, दिनांक 29 अप्रैल, 2025

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक–231205122600 दिनांक 25.04.2024 एवं इस क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : 3647 दिनांक 13.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, बी0ई0एल0 रोड़, कोटद्वार को बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	**इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, बी0ई0एल0 रोड़, कोटद्वार।**	बी0बी0ए0	60 सीट	2024–25
		बी0सी0ए0	60 सीट	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2024–25 के अन्त तक संस्थान से प्राभूति राशि यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में ही मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करे, प्राभूति राशि अपूर्ण होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2025–26 के प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 29-04-2025 16:45:02

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3255 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 29-04-2025
17:46:08

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।

File No. RB-EDUC02/467/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 901)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 30/04/2025 11:51 am